BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 106/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

ASHISH RAI ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Joint committee inspection report		01-07
2.	Panchnama	**Annexure - C1**	08-09
3.	MPHIDB letter dated 19.06.2024	**Annexure - C2**	10-21
4.	Photographs taken during visit	**Annexure - C3**	22-24

Date: 26.07.2024

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

<u>In the Matter</u>

Original Application No. 106/2024 (CZ)

‘Ashish Rai Vs State of Madhya Pradesh & Ors.’

w.r.t.

Hon’ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal
Order Dated 02.05.2024

Date of Visit : 19.06.2024

Report Submission date: 25.07.2024

Location: Survey no. 156, Sector-A, Deen Dayal Nagar, Maharajpur Ramanna, Tehsil Morar, District Gwalior, M.P.

Index

S. No.	Details of Documents	Page No.
1.	Joint committee inspection report	01-07
2.	Annexure C-1 Panchnama	02 Page
3.	Annexure C-2 MPHIDB letter dated 19.06.2024	12 Page
4.	Annexure C-3 Photographs taken during visit	03 Page

Joint Committee Report

Ref: Inspection of the joint committee dated 19.06.2024 as per the orders of Hon'ble NGT in case of OA 106/2024 (CZ) dated 02.05.2024 Ashish Rai v/s State of Madhya Pradesh & Ors.

Hon'ble NGT in reference to OA 106/2024 (CZ) Ashish Rai v/s State of Madhya Pradesh & Ors vide order dated 02.05.2024 has given following instructions:

1. *This application has been moved by one Shri Ashish Rai of Rai Colony Ghasmandi Colony Gwalior with the facts that Madhya Pradesh Grah Nirman Mandal is constructing a high rise building in Din Dayal Nagar, Gwalior and in furtherance of the construction of the building a well which is the source of the water for nearby residents is being damaged and the water available in the well is being pumped day and night into the dirty drains for the last 20 days. It is further alleged that there is acute shortage of water in the city and housing board is misusing the water and extracting the ground water without any authority and throwing it to the nallah and damaging the source of the water.*

5. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-*

   1. *One representative from the Collector Gwalior (M.P.)*
   2. *One representative from the Central Ground Water (M.P.)*
   3. *One Representative from the State Pollution Control Board, (M.P.),*

6. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance to the orders of Hon'ble NGT, a site visit of place where Madhya Pradesh Grah Nirman Mandal is constructing a high rise building in Deen Dayal Nagar, Gwalior was conducted on dated 19.06.2024 by the Joint Committee members. The place of complaint is located at Survey no. 156, Sector-A, Deen Dayal Nagar, Maharajpur Ramanna, Tehsil Morar, District Gwalior.

Member of Joint Committee As per Hon'ble NGT Order	**Nominated Representative**
One representative from the Central Ground Water	Smt. Paisani Patel, Scientist C, Central Ground Water Board, Bhopal
One representative from the Collector Gwalior	Shri Naresh Chand Gupta, Deputy Collector, Collector Office, Gwalior
One Representative from the State Pollution Control Board	Shri R.R. Singh Sengar, Regional Officer, MPPCB, Gwalior

Shri Harish Chandra Shrivastava (Executive Engineer) MP Housing & Infrastructure Development Board Gwalior, Shri Shubham Sharma (Sub Engineer) MP Housing & Infrastructure Development Board Gwalior, Shri S.K. Garg (Sub Engineer) MP Housing & Infrastructure Development Board Gwalior, Shri Salman Khan (Sub Engineer) Regional Office MPPCB Gwalior, and nearby residents Shri D. K. Sharma (Resident) AH-7 Deen Dayal Nagar Gwalior, Shri Brajesh Mishra (Resident) AH-1 Deen Dayal Nagar Gwalior, Shri B.S. Shaha (Resident) AH-6 Deen Dayal Nagar Gwalior & Other resident of the colony were also present during inspection.

DETAILS OF PROJECT AND OBSERVATIONS OF JOINT COMMITTEE DURING INSPECTION:

1) There is a plot of M.P. Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB) situated on a piece of land bearing survey number 156 in sector A of Deen Dayal Nagar Gwalior. A high rise residential cum commercial complex project named Atal Kunj Residential cum Commercial Complex is proposed to be constructed at this site by MPHIDB. On joint committee visit date 19.06.2024 no construction or earth work activity was seen to be carried out at site. But some foundation related earth work which was carried out some month ago was seen at the site.
2) Applicant Shri Ashish Rai moved a newspaper cutting published in newspaper "DB Star Gwalior" on dated 01.03.2024 to Hon'ble NGT Central Zone Bench Bhopal. So this case is taken into consideration by Hon'ble NGT as OA No. 106/2024(CZ). As per newspaper content "Madhya Pradesh Grah Nirmaan Mandal is constructing a high rise building in Deen Dayal Nagar Gwalior and in furtherance of construction of the building a well which is the source of water for nearby residents is being damaged and the water available in the well is being pumped day and night into dirty drains for last 20 days of water in the city and Housing Board is misusing the water and extracting the ground water without any authority and throwing it to nallah and damaging the source of water." So to verify the facts on the ground Joint Committee visited the site on 19.06.2024 and found following facts: -

i. There is no open well structure situated within the plot area of the proposed High Rise Building Project of MPHIDB.
ii. There is an old stone pitched sump well of size about 15-20 feet depth and diameter about 38 feet is situated within the plot area. This sump well was constructed in the year about 1990 onward by MPHIDB for supplying the water to residents of township/colony developed by MPHIDB in the area. This sump well was used as collection tank of water brought to there through pipelines from borewell situated far away from this site. Now there is municipal water supply in the area, so use of this sump well was stopped about 20-25 years before as intimated by MPHIDB officials.
iii. During joint committee visit this sump well was seen empty but some plastic garbage was seen inside it, which require immediate cleaning. So MPHIDB officials were instructed to carry out cleaning.
iv. It is also intimated by MPHIDB officials present during inspection that this sump well structure will be demolished during establishment of this new high rise building project.
v. A Panchnama was prepared at the spot during joint committee visit in presence of nearby residents is enclosed as **Annexure C-1**. As per panchnama residents of nearby area stated that there is no open well situated within proposed high rise building project premise. There is only one old pakka sump well which was used for collection of water for suppling to nearby resident before municipal water supply started in the colony.
vi. A status report of proposed High rise Building Project and statement regarding content of this case is provided by MPHIDB officials to Joint Committee during inspection, which is enclosed as **Annexure C-2.** As per information received from MPHIDB Gwalior this proposed High

Rise Building Project already obtained Lay Out permission from Town and Country Planning Gwalior through letter number GWLLP-7957 dated 28.06.2021 and Building Permission from Municipal Corporation Gwalior through letter number PMT/GWA/0101/217/2022 dated 08.03.2022. These permi-ssions are the part of **Annexure C-2**.

vii. As per building permission this project is sanctioned for total plot area 9163.87 square meter and total built up area for covered construction 25916.54 square meter (including both FAR & Non FAR area). So as per provisions of EIA Notification, 2006 this project requires prior Environment Clearance from SEIAA Bhopal and consent to establishment from M.P. Pollution Control Board before start of construction work at site which are not obtained by MPHIDB as yet. So MPHIDB officials were instructed to obtain consent of Board before start of construction work at the site.

viii. MPHIDB officials stated that to clean the sump well garbage the pumping of polluted water stored inside the sump was carried out in February 2024. But after publication of controversial news in News Paper DB Star Gwalior on dated 01.03.2024 the cleaning work stopped.

ix. Photographs taken during inspection of Joint Committee are enclosed as **Annexure C-3**.

CONCLUSION: -

As per observation made by joint committee members it is concluded that –

1. There is no open well situated within proposed project premise of MPHIDB. There is only old pakka sump well previously used for collection of water for suppling to nearby colony developed by MPHIDB.
2. This sump well was told to be a natural water source (well) in the application/newspaper cutting. But that structure is of sump well rather than an open well.

3. Applicant submitted this application to Hon'ble NGT without verifying the facts on ground.

RECOMMENDATION

On the basis of inspection conducted by Joint Committee on 19th June, 2024 and content mentioned above following recommendations may be communicated to MPHIDB to ensure compliance of provisions of various environmental laws and rule :-

1. MPHIDB Gwalior shall obtain prior Environment Clearance from SEIAA Bhopal & Consent to Establishment from MPPCB before starting construction activities at the site.
2. MPHIDB Gwalior shall cleanup the sump well immediately and take measures to protect it from throwing garbage by any person to ensure good public health of nearby residents by good sanitation practices.

Shri Naresh Chand Gupta Deputy Collector Collector Office Gwallior	
Smt. Paisani Patel Scientist C Central Ground Water Board Bhopal	
Shri R.R. Singh Sengar Regional Officer M. P. Pollution Control Board Gwalior	

Annexure C-1

मौका पंचनामा

आज दिनांक 19/06/2024 को माननीय NGT द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/2024 में दिए गए निर्देश के परिपालन में संयुक्त समिति द्वारा सेक्टर ए' दीन दयाल नगर ग्वालियर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला अटल कुन्ज परिसर के स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर के आसपास के रहवासीगण भी उपस्थित थे। निरीक्षण कर मौका स्थल पर एक पुराना स्टोन पिचिंग वाला सम्पवेल लगभग 15 फीट गहराई का बना हुआ देखा गया। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यन्त्री द्वारा बताया गया कि वर्ष 1994-1995 में कालोनी में जल प्रदाय के लिए इस सम्पवेल को बनाया गया था जहां पर अन्यत्र स्थित बोरवेल से पाइप लाइन के माध्यम से पानी लाकर एकत्रित कर पम्प के माध्यम से जल प्रदाय किया जाता था। कालान्तर में यह कालोनी नगर निगम ग्वालियर को वर्ष 2008 में हस्तांतरित होने के उपरान्त क्षेत्र में नगर निगम की जल प्रदाय व्यवस्था से जल प्रदाय किया जाने लगा। तब से यह सम्पवेल अनुपयोगी होकर बेकार पड़ा है।

मौके पर यह पाया गया कि शिकायत कर्ता द्वारा इस सम्पवेल को जीवित जल स्रोत (कुआं) बताया गया है, जबकि वास्तव में यह कुआं न होकर एक पक्का सम्पवेल है। वर्तमान में इस सम्पवेल में कचरा भरा हुआ देखा गया।

उपरोक्त विवरण आसपास के उपस्थित रहवासियों को पढ़कर सुनाया गया तथा उनके द्वारा विवरण सत्य बताते हुए पंचनामा में नीचे हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर पंचगण

(1) श्री डी० के शर्मा - ए. एच. 7 दीनदयाल नगर [signature]
9753914242

(2) श्री बृजेश मिश्रा ए. एन. 1 डी डी. नगर [signature]
9926223965

(3) श्री बी. एस. साहा ए. एम. 6 डी. डी. नगर [signature]
9329221222

(4) श्री बच्चन पाठक ए. एम. 33 डी. डी. नगर [signature]
8319590602

(5) श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर ए. एम. 02 डी. डी. नगर [signature]
9109249692

(6) श्री आर. के. शर्मा ए. एम. 01 डी. डी. नगर [signature]
9425308573

(7) Hemant Gurjar [signature]
Assistant Engineer
M.P.H. & I.D.B.

10.

(9) श्री शुभम शर्मा
उपयन्त्री
7697111801

(10) श्री. एस. के. गर्ग
उपयन्त्री
98276-11572

(11) श्री आर. आर. सिंह सेंगर
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्र. नि. बो. ग्वालियर

(12) पैसन्नी पटेल, वैज्ञानिक-27
के. भू. ज. बो. भोपाल

(13) श्री. डा. धर्मेन्द्र सक्सैना - ए.एम. 43
9827075033. डी. डी. नगर ग्वालियर

(14) श्री सलमान खान (उपयंत्री)
क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, ग्वालियर 8770777169

Annexure C-2

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board

पता :– पानी की टंकी के नीचे संभाग क्रमांक–1 ग्वालियर Mail:- eedn1hbgwl@mp.gov.in

क्रमांक 1482 / त.शा. / का.यं. / सं.क्र.1 / 2024 ग्वा., दिनांक 19.6.24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दीनदयाल नगर ग्वालियर।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 106 / 2024 में श्री आशीष राय विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 1710 / क्षेकाप्रनिबो / ग्वा / 2024 ग्वालियर दिनांक 13.06.2024

––00––

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्रारंभिक उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है :–

1. मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा सेक्टर–ए दीनदयाल नगर ग्वालियर मैं अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 156 महाराजपुर रमन्ना, पर एक आवासीय सह व्यावसायिक कॉम्पलेक्स प्लान किया गया है।
2. राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि ग्राम महाराजपुर रमन्ना, हल्का महाराजपुर गिर्द, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 156 का भाग है।
3. राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा एवं खसरा के अनुसार इस पूरे सर्वे क्रमांक 156 में कोई भी प्राचीन जल स्रोत या कुआं स्थित नहीं है। उक्त ग्राम के पटवारी से भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके द्वारा इस सर्वे क्रमांक में कोई जल स्रोत या कुआं नहीं होना बताया गया तथा उनके पास उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे का फोटो में भी कोई कुआं दर्शित नहीं है। (अक्श एवं खसरा की छायाप्रति संलग्न है।)
4. उक्त योजना हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ग्वालियर द्वारा अनुमति क्रमांक GWLLP-7957 दिनांक 28.06.2021 तथा नगर निगम ग्वालियर द्वारा भवन अनुज्ञा क्रं. PMT/GWA/0101/217/2022 दिनांक 08.03.2022 प्रदाय की गई है, इनमें भी किसी जल स्रोत या कुएं का कोई उल्लेख नहीं है। (स्वीकृति की प्रतियाँ संलग्न है।)
5. उक्त भूमि पर जीवित जल स्रोत की जिस खबर के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ है वास्तव में वह, आधी–अधूरी अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर है। मंडल द्वारा उक्त संरचना का निर्माण इस कॉलोनी के प्रारंभिक विकास के समय 1990–95 के दौरान विभिन्न स्रोतों से पानी एकत्रित कर जल प्रदाय करने हेतु वाटर कलेक्शन टैंक (सम्पवेल) के रूप में किया गया था। इस टैंक का आन्तरिक व्यास 38 फीट तथा कुल गहराई लगभग 20 फीट है। जिसमें वर्तमान में प्रभावी गहराई लगभग 15 फीट शेष भाग में मिट्टी, कचरा एवं गाद आदि का भराव पूर्व से है।
6. इस टैंक का उपयोग उस समय आसपास पानी की उपलब्धता न होने के कारण लगभग दो ढाई किलोमीटर दूर स्थित नलकूपों से पानी लाकर इकट्ठा कर पम्प द्वारा रहवासियों को प्रदाय करने हेतु किया जाता था। प्रारंभ से अभी तक कभी भी भूजल स्रोत के रूप में यह संरचना उपयोग में नहीं आई है। बाद में कॉलोनी में बसाहट बढ़ने के कारण सेक्टर बी में ओवरहेड टैंक एवं सम्पवेल आदि के माध्यम से जल प्रदाय प्रारंभ किया गया जो वर्तमान तक जारी है। वर्ष–2008 में सम्पूर्ण दीनदयान नगर, नगर निगम ग्वालियर को हस्तान्तरित किया जा चुका है। एवं नगर निगम द्वारा तिघरा जलाशय से जल प्रदाय किया जा रहा है। विगत 20 / 25 वर्षों में इस टैंक का उपयोग किसी भी रूप में जलप्रदाय या अन्य किसी उपयोग हेतु नहीं किया जा रहा है।

विवरण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.विकास मण्डल
संभाग क्र.1 ग्वालियर

क्रमांक................/ त.शा. / का.यं. / सं.क्र.1 / 2024 ग्वा., दिनांक..................

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त, म.प्र. गृह. निर्माण एवं अधो. विकास मण्डल, वृत्त ग्वालियर ।

कार्यपालन यंत्री

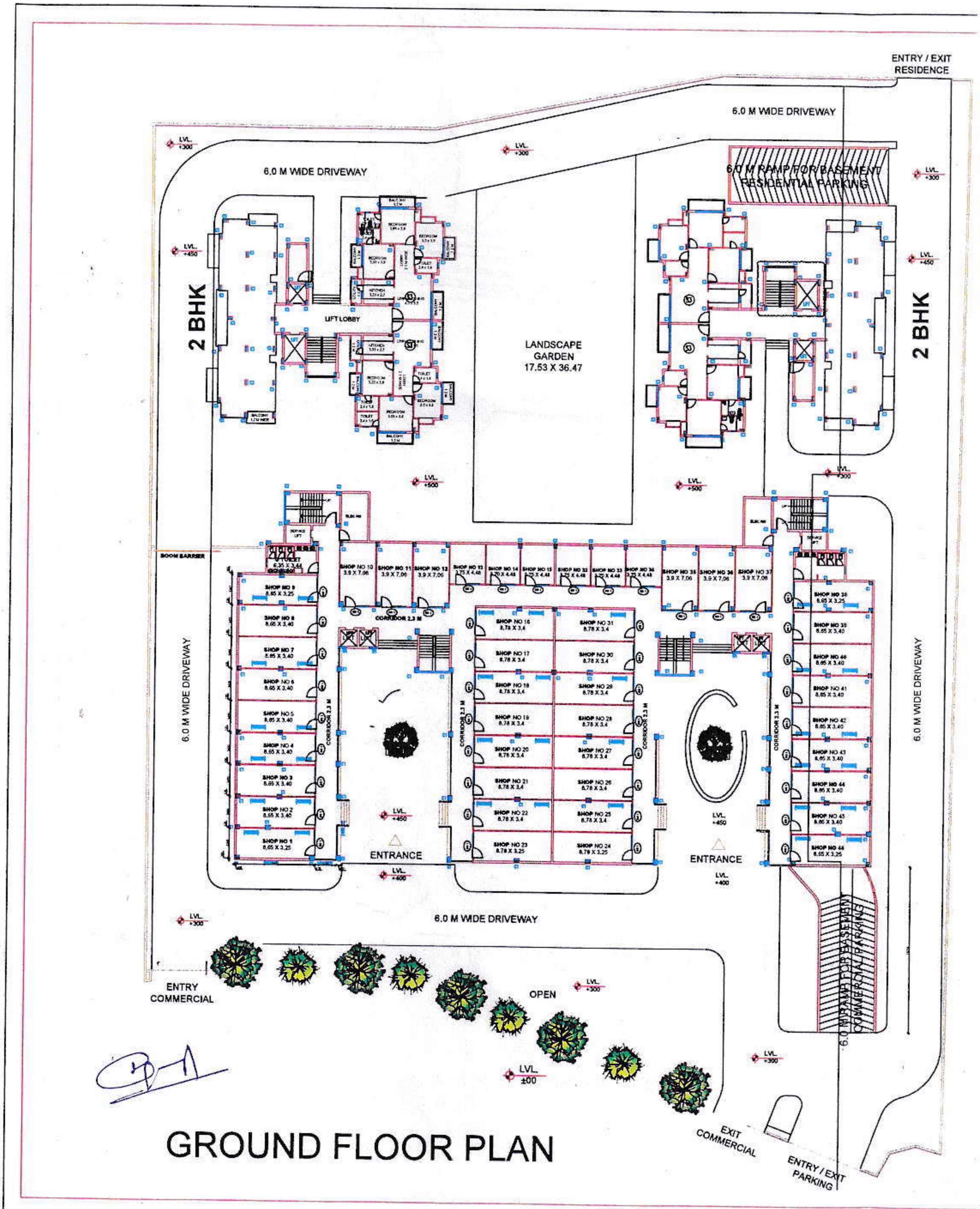

GROUND FLOOR PLAN

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि		N W E S
	वर्ष: 2024-25	दिनांक : 15-06-2024 08:25:04	

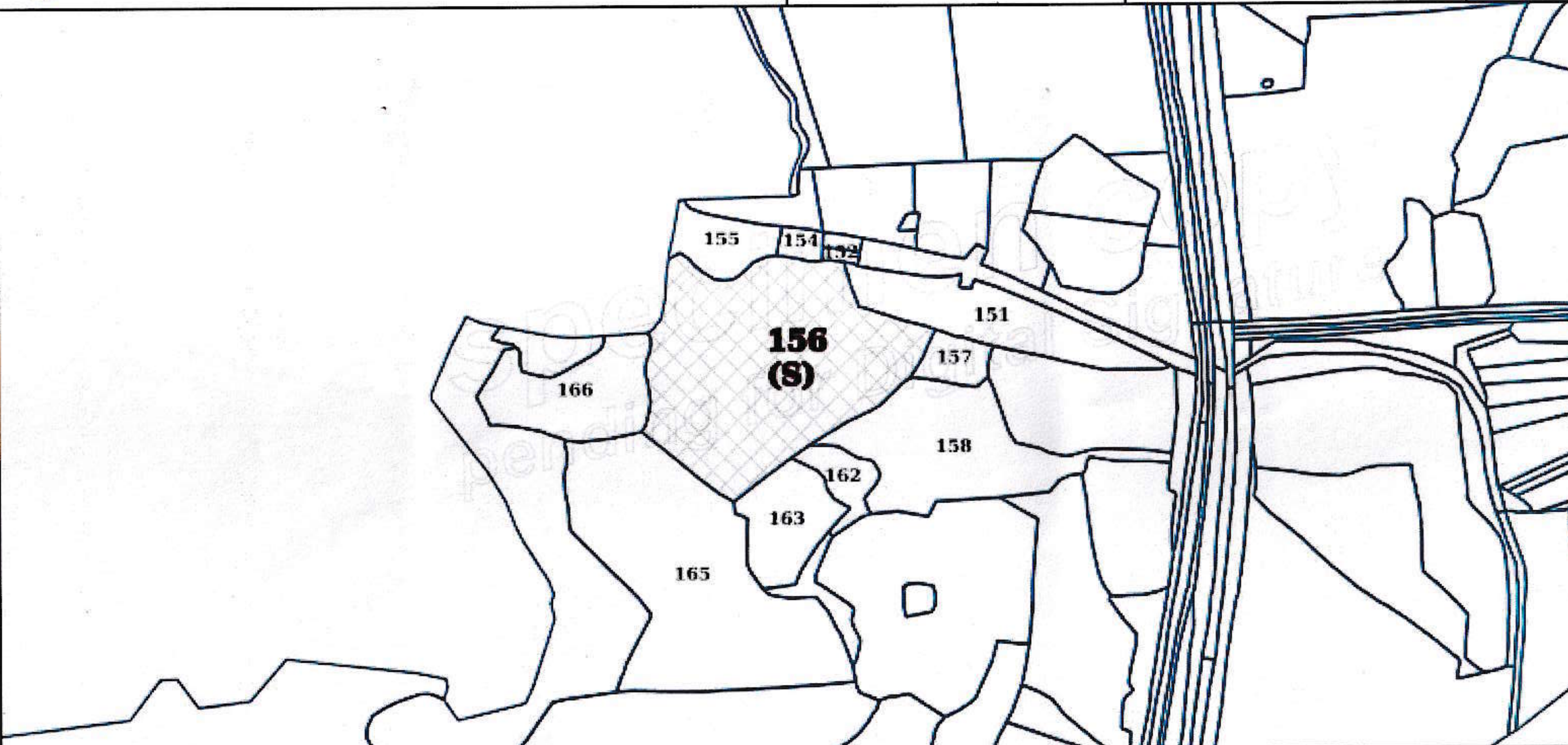

ब्लॉक सं.:	ग्राम:महाराजपुर रमन्ना	हल्का:महाराजपुरा गिर्द	तहसील:मुरार	जिला:ग्वालियर
सर्वेक्षण सं.: 156(S)	क्षेत्रफल:2.2160(हेक्ट.)	भू.रा.शा बि.:15.94	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : मप्र गृह निर्माण मंडलग्वालियर पता महाराजपुर रमन्ना ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश निजी संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

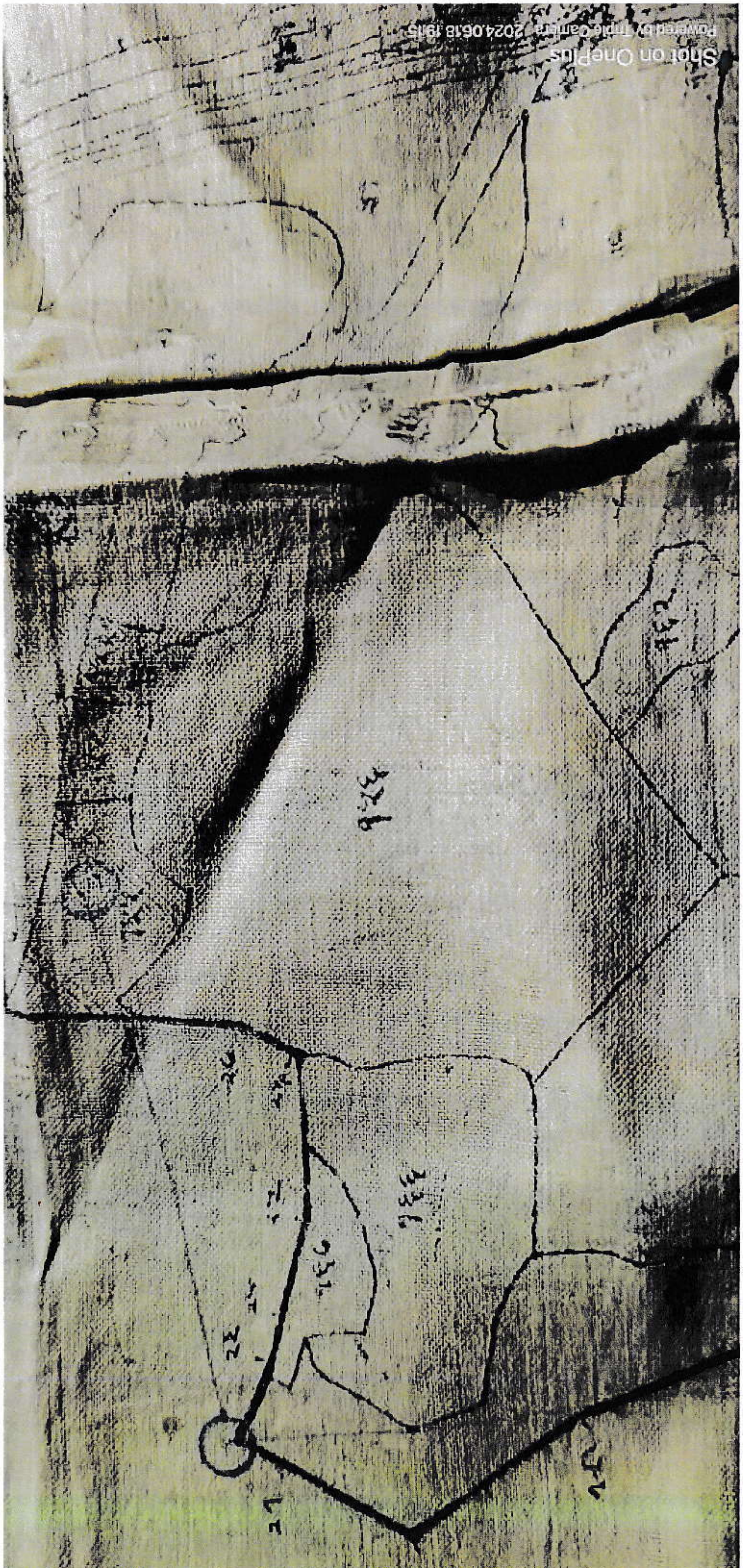

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

राजपुर रमन्ना			पटवारी हल्का:महाराजपुरा गिर्द			तहसील:मुरार			जिला:ग्वालियर		वर्ष: 2024-2025
भाग की यूनिक	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (4) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75122 8DB6MCGH0	156 (S)		2.2160 हेक्टेयर रु.15.94	म.प्र. गृह निर्माण मंडल ग्वालियर पता: महाराजपुर रमन्ना ग्वालियर ग्वालियर मध्यप्रदेश निजी संस्था							रिहायशी भवन 2.2160

specimen copy

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
का उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
टर्ली साइड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
ष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक/GWLLP 7957 / नग्रानि/2021 ग्वालियर, दिनांक 28.06.2021

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, संभाग–तीन, ग्वालियर

विषय– तहसील ग्वालियर के ग्राम **महाराजपुरा रमन्ना** के सर्वे कमांक **156** भूखण्ड क्रमांक **सेक्टर–ए, दीनदयाल नगर** रकवा **9164.67** वर्गमीटर भूमि पर नियोजन अनुज्ञा बाबत्।

संदर्भ– आपका आवेदन पत्र दिनांक **22.05.2021**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र मे यथावर्णित ग्राम **महाराजपुरा रमन्ना** के सर्वे कमांक **156** भूखण्ड क्रमांक **सेक्टर–ए, दीनदयाल नगर** रकवा **9164.67** वर्गमीटर पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(5)(क) एवं 27(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्वालियर विकास योजना 2021 में अनुमोदित **आवासीय सह वाणिज्यिक** भूमि उपयोग हेतु संलग्न रेखांक (मानचित्र) के अनुसार निम्नलिखित निर्बन्धनो एवं शर्तो के अधीन **आवासीय सह वाणिज्यिक** उपयोग हेतु निवेश अनुज्ञा दी जाती है –

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते 1998) के तहत आयुक्त नगर निगम ग्वालियर से उपनियमों में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी।
2. प्रस्तावित विकास में निर्मित क्षेत्र **19.45** प्रतिशत, फर्शी क्षेत्र अनुपात **1.32** तथा सीमांत सामने खुला क्षेत्र **12.0** मीटर साईड्स **7.5/7.5** मीटर एवं पीछे **7.5** मीटर मानचित्रानुसार रखना अनिवार्य होगा। मार्ग मध्य से **20.0** मीटर छोड़कर भूखण्ड रेखा मान्य होगी।
3. भवन की अधिकतम उंचाई **24** मीटर मान्य होगी। बेसमेन्ट–एक एवं दो में **पार्किंग,** भूतल से तृतीयतल तक **वाणिज्यिक सह आवासीय** एवं चतुंर्थतल से सप्टमतल तक **आवासीय** उपयोग मानचित्र अनुसार मान्य होगा।
4. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम–31 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 एवं ग्वालियर विकास योजना–2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार पार्किंग क्षेत्र सुनिश्चित करने पर ही नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावे।
6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार 140 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों पर निर्मित भवनों में वर्षा/छत के पानी की हारवेंस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था की जाना आवश्यक होगा ।
7. प्रस्तावित विकास/निर्माण म0प्र भूमि विकास नियम 2012 कें नियम 86(2) के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिये आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerendra Kumar Sharma
Date: 2021.06.28 17:57:38 IST

8. भूखण्ड पर निर्मित भवन मे भूकम्प रोधी मानदण्डों प्राकृतिक परि–संकट उन्मुक्त क्षेत्रों में लागू नियमों एवं तकनीकों का पूर्ण रूप से पालन करते हुये, विस्तृत मानचित्र नगर निगम ग्वालियर से अनुमोदित कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।

9. विकास कार्य के दौरान वृक्षों की जडो से 6.0 फिट की दूरी तक कंक्रीट, पेवर अथवा डामर नही किया जावे ।

10. स्वीकृति आवेदन/मानचित्र में उल्लेखित तथ्यों के गलत होने अथवा किसी सारभूत तथ्य को छिपाकर अनुमति प्राप्त करने की दशा में म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत यह स्वीकृति प्रतिसंहित (Revoke) कर दी जाएगी।

11. प्रत्येक 100 मीटर क्षेत्रफल के मान से भवन निर्माण पूर्ण होने पर एक वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

12. अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्यो के दौरान रखना आवश्यक होगा। तथा 5 X4 वर्गफिट के बोर्ड पर भी मानचित्र अंकित कर लगाना अनिवार्य होगा।

13. सामने के न्यूनतम खुले क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास स्वीकार्य नहीं होगा।

14. भूखण्ड के सामने मार्ग से प्रभावित क्षेत्र की छोडी गई भूमि का अधिपत्य नगर निगम को सौपने के उपरांत ही अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के निर्माण की अनुमति नगर निगम द्वारा प्रदान की जावेगी ।

15. यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी तथा प्रभावशील अवधि के अंदर आवेदन करने पर अधिकतम पांच वर्ष तक के लिये बढाई जा सकेगी।

16. अनुमोदित मानचित्र को भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं माना जावे। भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने एवं किसी अन्य उपयोग में लेने की दशा मे यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि –

म0प्र0 भूराजस्व संहिता, 1956 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 मध्यप्रदेश नगर पालिका, (कालोनाइजर का रजिस्टीकरण निर्बन्धन एवं शर्ते) नियम–1998 तथा अन्य अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनुमति /अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो तो वह लेना होगी तथा उसमें आरोपित शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा ।

संलग्न– अनुमोदित अभिन्यास की प्रति ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)

पृ0कमांक/GWLLP 7957 /नग्रानि/2021 ग्वालियर,दिनांक 28.06.2021

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त नगर पालिका निगम जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– अनुमोदित मानचित्र एक प्रति ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerendra Kumar Sharma
Date: 2021.06.28 17:57:38 IST

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म0प्र0)

PROPOSED RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL COMPLEX
FOR M.P.HOUSING & INFRASTRUCTURE DEVELOPENT BOARD,
AT SEC-A D.D.NAGAR , GWALIOR

FOR MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

SITUATED AT PART OF SURVEY NO. 156, VILLEGE-MAHARAJPURA RAMNNA, GWALIOR (M.P.)

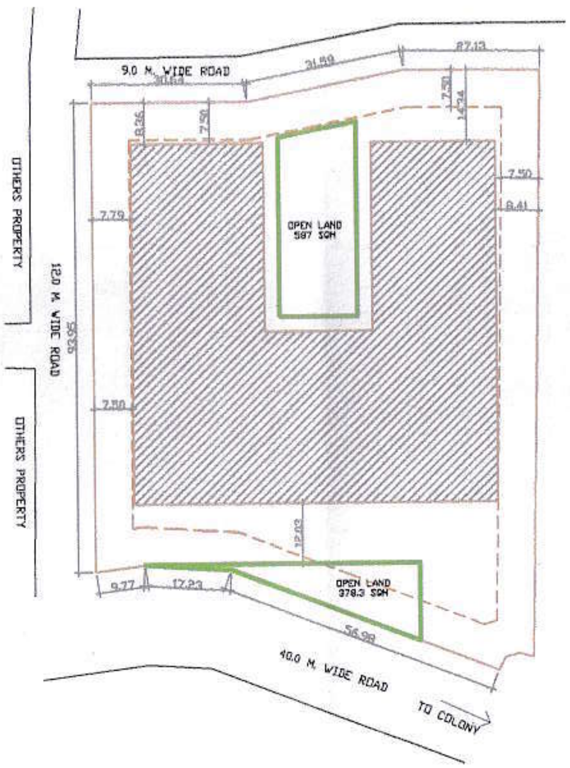

AREA STATEMENT-

TOTAL PLOT AREA = 9164.67 SQ.M
ACHEIVED AREA UNDER F.A.R.@1.32 = 12142.28 SQ.M
COVD. AREA ON GROUND FLOOR =1401.17 SQ.M COMMERCIAL + 381.64 SQ.M RESIDENTIAL (19.45%)
COVD. AREA ON FIRST FLOOR =1401.17 SQ.M COMMERCIAL + 635.68 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON SECOND FLOOR =1401.17 SQ.M COMMERCIAL + 635.68 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON THIRD FLOOR = 1401.17 SQ.M COMMERCIAL + 635.68 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON FOURTH FLOOR = 1062.08 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON FIFTH FLOOR = 1062.08 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON SIXTH FLOOR = 1062.08 SQ.M RESIDENTIAL
COVD. AREA ON SEVENTH FLOOR = 1062.08 SQ.M RESIDENTIAL
TOTAL COVD. AREA ON ALL FLOORS = 12142.28 SQ.M
STILT AREA FOR PARKING = 254.04 SQ.M (NOT IN FAR)
AREA UNDER COMMERCIAL = 5604.68 SQ.M
REQ CAR PARKING 5604.68/50 = 112.09
AREA UNDER RESIDENTIAL = 6537.6 SQ.M
REQ CAR PARKING 6537.6/100 = 65.38
TOTAL CAR PARKING REQUIRED = 112.09 + 65.38 = 177.47
BASEMENT 1 CAR PARKING AREA = 5780.3 SQ.M (NOT IN FAR)
PROPOSED CAR PARKING IN BASEMENT 1 = 5780.3 SQ.M/35 = 165.15
BASEMENT 2 CAR PARKING AREA = 3016.7 SQ.M (NOT IN FAR)
PROPOSED CAR PARKING IN BASEMENT 2 = 3016.7 SQ.M/35 = 86.19
TOTAL CAR PARKING PROPOSED = 165.15 + 86.19 =251.34 NOS CARS
OPEN AREA = 587 + 378 = 965 SQ.M

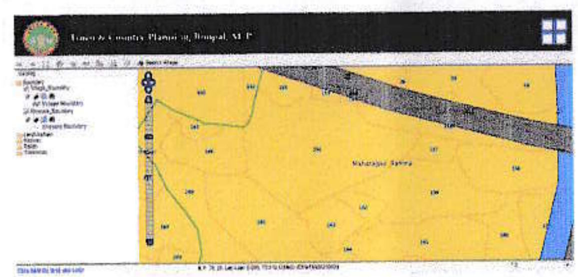

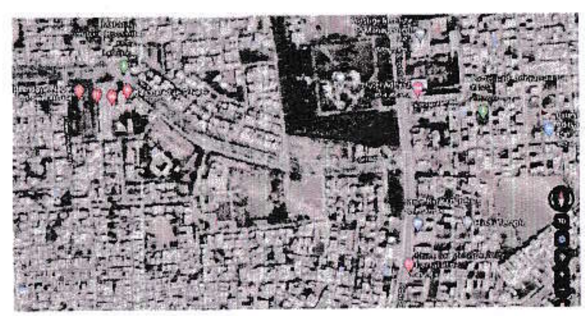

PROJECT		
SCALE	DEALT BY	DATE
SCALE		
OWNER'S SIGNATURE		
ARCHITECT / PLANNER		
SEAL/SIGNATURE		

Ar. RAM KUMAR GUPTA CA 2009 44876 CHARTED ARCHITECT

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerendra Kumar Sharma
Date: 2021.06.28 18:00:19 IST

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH BHOPAL

नगर पालिक निगम Gwalior

क्रमांक
PMT/GWA/0101/216/2022

दिनांक 08-मार्च-2022

प्रति

MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD GWALIOR
SECTOR-A, SURVEY NO. 156, GRAM- MAHARAJPURA
RAMANNA, D.D. NAGAR, GWALIOR

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र

संदर्भ :आपका आवेदन पत्र क्रमांक GWA/GWA/GWA/0101/1922/2021

आपके संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में निम्न विवरण अनुसार भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था **शपथ** पत्र अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु प्रकोष्ठ विक्रय प्रतिबंधित ।

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 8 / 18
2. कॉलोनी का नाम : GRAM MAHARAJ PURA RAMANNA, D.D. NAGAR, GWALIOR
3. भूखंड क्रमांक : SECTOR- A, SRUVEY NO- 156
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Commercial zone
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
92.790	115.360	9163.870	9163.870

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.32	Total permissible Builtup Area :	12035.350
Consumed FAR :	1.310	Proposed Builtup Area :	12035.350
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	13881.19
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	19.320
		Permissible Ground Coverage :	19.45

9. **Building FAR Details**

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	8,328.50	3,706.85	0.00	0.0000	0.00	12.01	8.14	8.02	7.94

10. **Floor FAR Details**

Building Name	S.No.	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-BF1	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	5809.05
Single	2	FLOOR-BF2	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	4435.60
Single	3	FLOOR-GROUND	1,353.07	416.94	0.00	0.0000	0.00	1,770.01	194.40
Single	4	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	327.05
Single	5	FLOOR01	1,395.70	655.65	0.00	0.0000	0.00	2,051.35	626.59
Single	6	FLOOR02	1,405.44	655.65	0.00	0.0000	0.00	2,061.09	616.85

नगर पालिक निगम Gwalior

11. **Paid fees Details**

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/GWA/0101/494/2022	746536.00	RCPT/GWA/0101/869/2022	3/5/2022	Online
DMD/GWA/0101/494/2022	1.00	RCPT/GWA/0101/848/2022	3/4/2022	Online
DMD/GWA/0101/3405/2021	500.00	RCPT/GWA/0101/4553/2021	12/31/2021	Online

मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तो तथा उपबंधनों के तहत् भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **07-मार्च-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश **नगर पालिक निगम** अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा ।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नही होगा।
3. यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन**/आंतरिक **परिवर्तन**/परिवर्धन करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेशन** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी ।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल **संचयन शाखा** से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड़ के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की **क्षेत्र में** स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की **दशा** में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नही रखी जावें। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नही फैलावें।
14. मध्य **प्रदेश** भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय **प्रशासन** एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगें अधिभोग हेतु नियम 102 के नियय 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गए **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा

नगर पालिक निगम Gwalior

निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 केअनुसारवृक्षारोपणकरनाअनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिको हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Gwalior.

Digitally signed by VIRENDRA KUMAR SHAKYA
Date: 2022.03.08 16:35:33 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Gwalior

T&CP PERMISSION NO- GWLLP7957
T&CP PERMISSION DATE- 28/06/2021

DRAWING STATUS

MUNICIPAL DRAWING

DRAWING TITLE

FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS

PROJECT INFORMATION			
DIVISION	GWALIOR	ZONE NO.	6
DISTRICT	GWALIOR	WARD NO.	18
ULB NAME	GWALIOR	PLOT NO.	SECTOR-A, SRUVEY NO-156
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		

COLONY NAME : GRAM MAHARAJ PURA RAMANNA, D.D, NAGAR, GWALIOR

PROJECT DETAILS	
CASE TYPE	ERECT
LAYOUT TYPE	YES
LAND USE	COMMERCIAL ZONE
LANDSUB-USE	LOCAL SHOPPING CENTRE
BUILDING USE	RESIDENTIAL
ACTIVITY	GROUP HOUSING

AREA STATEMENT		
A	GROSS PLOT AREA	9163.87
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)	0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)	9163.87

SNO	DESCRITION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	9163.87	9163.87
02.	FAR RATIO	1.32	1.3133
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	12035.35
	BUILT-UP AREA	-	12035.38
04.	GROUND COVERAGE	19.45	19.32
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	1770.01
06.	BUILDING HEIGHT	24.00	18
07.	FRONTAGE	83.98	92.79
08.	ROAD WIDTH	40	40
09.	FRONT MOS	12	12.01
10.	REAR MOS	7.5	8.14
11.	SIDE-1 MOS	7.5	8.52
12.	SIDE-2 MOS	7.5	7.94

01.	NON-FAR AREA	13881.19
02.	TOTAL SLAB AREA	25916.54
03.	PARKING AREA	10033
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0
06.	NO OF TREES REQUIRED	92NOS

DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N

CERTIFICATE OF AREA

CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.

SIGN OF CONSULTANT

CONSULTANT	DESIGNATION
RAM KUMAR GUPTA	

OWNER'S NAME & ADDRESS
MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD GWALIOR, SECTOR-A, SURVEY NO. 156, GRAM-MAHARAJPURA RAMANNA, D.D. NAGAR, GWALIOR

BC NAME	
BI NAME	
BO NAME	
SEAL OF APPROVAL	

Digitally signed by VIRENDRA KUMAR BHARYA
Date: 2022.03.28 16:40:30 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Gwalior

FILE NO : CDrawing-GWA-GWA-GWA-0101-1922-2021.Dwg

Annexure C-3

Photographs Taken During Visit on Dated 19.06.2024

Photographs of Site Visit With Nearby Residents

Photographs of Sump Well Showing Deposition of Garbage

Photographs of Sump Well Showing Pipeline Outlet Used for Filling the Sump Well in Old Days

Photographs of Joint Committee Members and Nearby Residents at Sump Well

Photographs Showing Old Earth Work at Site